न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.115 / 17

दिनांक 7.9.17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जयसिहंपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 रकबा 12.50 है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002 है0 पर मुरारी लाल पुत्र बनवारी लाल जाति वल्मीकि निवासी करवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने पुख्ता मकान व टीन सेड बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश किया । जो स्रलग्न पत्रावली किया गया। लेकिन कोई साक्ष्य , सबूत पेश नहीं किये । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, जबाब गैरसायल एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैरसायल मुरारी लाल पुत्र बनवारी लाल जाति वल्मीकि निवासी करवास द्वारा वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 / 12.50किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002 है0 पर पुख्ता मकान व टीन सेड बनाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः मुरारी लाल पुत्र बनवारी लाल जाति वल्मीकि निवासी करवास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम करवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 582 / 12.50 है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.002है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर निर्मित मकान को ध्वस्त कर टीन सेड को हटवाया जाकर कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी0.04 का पचास गुणा 2रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 7.9.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

17-18 ...के रा० ले० ...
164 ... पर 25 ...
...किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली